भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3046

उत्तर देने की तारीख : 19.03.2025

अल्पसंख्यकों के लिए रद्द या बंद की गई छात्रवृत्ति योजनाएं

3046. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए रद्द की गई, बंद की गई या विलय की गई छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छात्रवृत्तियों को रद्द किए जाने से पूर्व इनके अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी थी और इन्हें बंद किए जाने के क्या कारण बताए गए थे;

(ग) क्या सरकार ने बंद की गई योजनाओं के स्थान पर वैकल्पिक छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन छात्रवृत्तियों को रद्द किए जाने से अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो क्या इसके प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन कराया गया है;

(ङ) अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए निरंतर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए सभी छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता योजनाओं पर किए गए वित्तीय आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ङ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय छह (6) केंद्रीय रूप से अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है, जिसमें विभिन्न शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं जैसे (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं, जिन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूरे देश में कार्यान्वित किया जाता है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 सरकार के लिए प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VIII तक) प्रदान करना अनिवार्य करता है। तदनुसार, मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

योजना को कक्षा IX और X में पढ़ने वाले छात्रों तक सीमित कर दिया गया है। इसी तरह, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और पढ़ो परदेश ब्याज सहायता योजना के अन्य मंत्रालयों/विभागों की समान योजनाओं के साथ ओवरलैप को देखते हुए, इन योजनाओं को 2022-23 से बंद कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं को वर्ष 2024-25 के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित नहीं किया गया है।

उपर्युक्त योजनाओं की शुरुआत से अब तक अल्पसंख्यक छात्रों को लगभग 8.30 करोड़ छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय कार्य, शिक्षा मंत्रालयों आदि द्वारा कार्यान्वित इसी प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यक छात्रों को निरंतर वित्तीय सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

(च): उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2024-25 सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान 10432.53 करोड़ रुपए के बजट आवंटन में से, 7369.95 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

*****